न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 33 / 2018 जिला सीकर

1. बंशीधर पुत्र श्री हीराराम, आयु 52 वर्ष
2. प्रभूदयाल पुत्र हीराराम, आयु 50 वर्ष
3. जगदीश पुत्र हीराराम, आयु 40 वर्ष
   समस्त जाति जाट ,निवासीगण बावडी, तहसील खण्डेला, जिला सीकर (राजस्थान)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर (राजस्थान)
2. भूमिधारी तहसीलदार, कार्यालय खण्डेला, जिला सीकर (राजस्थान)
3. पटवारी हल्का , पटवार भवन बावडी, तहसील खण्डेला, जिला सीकर (राजस्थान)
4. गणपत राम पुत्र कानाराम
5. चौथमल पुत्र पन्नाराम
6. जवाहर सिंह पुत्र शंकरराम
7. नानूराम पुत्र बिडदू
8. कजोडमल पुत्र पन्नाराम
   समस्त जातियान जाट, निवासीयान बावडी, तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।
9. बीरबल सिंह पुत्र हरदेवा
10. रामपाल पुत्र धन्नाराम

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जाति जाट, निवासी बावडी , तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर

दिनांक 13.1.2017

उपस्थित–

1 वकील अपीलान्ट श्री सुल्तान सिंह कुडी
2 वकील रेस्पोंडेन्ट श्री श्याम बाबू पारीक

निर्णय

दिनांक– 19.3.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के निर्णय दिनांक 13.1.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 26.6.2018 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्राम बावडी, तहसील खण्डेला, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1095, 1101, 1103, 1104, 1105, 1106, 1108, 1143, 1144, 1146, 1147, 1148, 1163, 1165, 1168, 1177, 1178, 1169, 1174, 1176, के रकबे में से प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्श ट्रेस उप खण्ड अधिकारी खण्डेला , जिला सीकर को भिजवाते हुये अभिशंषा किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी खण्डेला ने दिनांक 13.1.2017 को माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिप्रेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व/16/2619–44 दिनांक 16.8.2016 एवं पत्रांक 4328–53 / राजस्व /2016 दिनांक 2.11.2016 की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एव 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न् सूची व नक्शा ट्रस में अंकित/ दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है तथा तहसीलदार खण्डेला को प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर आदेश दिये गये कि निम्न खसरा नम्बरान की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामांतरकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जावे । गैर मुमीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी । तहसीलदार खण्डेला द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस ओदश का भाग रहेंगे ।

क्र.सं.	नाम पटवार मण्डल	राजस्व ग्राम	खसरा नं.	रकबा
1	बावडी	बावडी	1095	0.05
			1101	0.02
			1103	0.02
			1104	0.03
			1105	0.01
			1106	0.03
			1108	0.03
			1143	0.02
			1144	0.02
			1146	0.05
			1147,	0.03
			1148	0.04
			1163	0.01
			1165,	0.06

			1168	0.04
			1177	0.03
			1178	0.05
			1169	0.03
			1174	0.02
			1176,	0.03

उप खण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 13.1.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के निर्णय 13.1..2017 निरस्त किया जाकर उक्त आदेश की पालना में की गयी समस्त कार्यवाही को प्रभावहीन एवं शून्य करते हुए निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि खसरा नम्बर 1178/3 की भूमि में अपीलान्ट के 1/2 हिस्से की खातेदारी राजस्व अभिलेख में दर्ज है जिसमें किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है । राजस्व कर्मचारियों द्वारा गोपनीय तरीके से बाला बाला अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1178/1, 1178/2, 1178/3, 1178/4 अंकन करते हुये खसरा नम्बर 1178/3 में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज कर दिया । उनका कहना था कि मौके पर कोई रास्ता मौजूद नहीं होने के बावजूद भी अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में से राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्शित करने का नियम विरूद्ध आदेश पारित किया है । उनका कहना था कि दीगर खातेदारों को नाजायज फायदा पहुँचाने की नियत से अपीलान्ट की भूमि में से रास्ता बताकर गलत प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा बनाये हैं जिनकी जॉच तहसीलदार द्वारा किये बिना ही प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि आवागम हेतु दीगर दिशा में पूर्व से ही रास्ता मौजूद है, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा बिना भौतिक जॉच किये दीगर लोगों के कथनानुसार गलत रिपोर्ट तैयार की है । अपीलान्ट को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी, जबकि हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना देना कानूनन आवश्यक था । उनका कहना था कि विवादित खसरा नम्बरान के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर खण्डेला के समक्ष वाद संख्या 26/2018 बंशी वगैहरा बनाम गजानन्द वगैहरा में दिनांक 29.5.2018 को अन्तरिम निषेधाज्ञा से मोका व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने हेतु आदेश पारित कर रखा है एवं वाद विचाराधीन है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त स्थगन आदेश की अनदेखी करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

से पूर्व अपीलान्ट जो कि हितबद्ध व्यक्ति था, को सुनवाई हेतु कोई नोटिस नहीं दिया । ऐसी स्थिति में हितबद्ध व्यक्ति को बिना सुने उसके अधिकारों के विपरीत पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अपीलाधीन आदेश पारित करने के बाद पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में से भूमि घटाकर बाला बाला नामांतरकरण स्वीकृत कर रिकार्ड से छोडखानी की है । राजस्थान सरकार के परिपत्र 2016 की पालना में अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना बताया है, जबकि परिपत्र में सार्वजनिक रास्तों का अंकन रिकार्ड में नहीं होने एवं आमजन द्वारा उपयोग उपभोग करने के संबंध में कार्यवाही बाबत कहा गया है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 वर्तमान सरपंच के चहेते व्यक्तियों को नाजायज फायदा पहुँचाने की गरज से अकेले अपीलान्ट की भूमि में से भूमि घटाकर रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश एवं इसकी पालना में की गई समस्त कार्यवाही निरस्त की जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार खण्डेला प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत अभिशंषा पत्र क्रमांकः भू.अ./2016/97 दिनांक 9.1.2017 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.1.2017 पारित कर भूमि में से गैरमुमकीन रास्ता कायम किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । उनका कहना था कि रास्ता प्रचलित एवं पुराना है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है तथा आवागमन हेतु रास्ता सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है। उनका कहना था कि यह अपील अपीलान्ट्स द्वारा मियाद बाहर प्रस्तुत की है, जबकि विलम्ब के संबंध में अंकित कारण कपोल कल्पित एवं मनगढन्त व झूठे है । अतः विलम्ब के संबंध में संतोषजनक कारणों के अभाव में विलम्ब को क्षमा किया जाना कानून उचित नहीं है । अतः अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक है जिसको यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि ग्रम बावडी, तहसील खण्डेला, जिला सीकर के खसरा नम्बर 1178 में से उन्हें बिना सुने एवं विधिवत नोटिस दिये बिना मात्र तहसीलदार खण्डेला की रिपोर्ट के आधार पर गैर मुमकीन रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर ने दिनांक 13.1.2017 को पारित किया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में सर्वप्रथम प्रकरण के गुणावगुण एवं अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों अपील के गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला

सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश तहसीलदार खण्डेला, जिला सीकर की अभिशंषा के आधार पर खातेदारों की भूमि में से गैरमुमकीन रास्ता कायम किया है । अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि ग्रम बावडी के खसरा नम्बर 1178 रकबा 0.05 हैक्टेयर में से उन्हें बिना नोटिस दिये व बिना सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश से गैरमुमकीन रास्ता कायम किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है । अपीलान्ट्स प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति है जिन्हें बिना सुने व सुनवाई का अवसर दिये बिना उनके अधिकारों के बिपरीत पारित आदेश को विधिसम्यक नहीं ठहराया जा सकता । हम समझते हैं कि अपीलान्ट्स प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार हैं जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है । अतः अपीलान्ट्स की खातदेरी भूमि खसरा नम्बर 1178 रकबा 0.05 हैक्टेयर की हद तक अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर दिनांक 13.1.2017 निरस्त करते हुये प्रकरण उन्हें अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर दिनांक 13.1.2017 अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि ग्रम बावडी के खसरा नम्बर 1178 रकबा 0.05 हैक्टेयर की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर को अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर